कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/संस्था/वरि./के–2/11968/मानदण्ड/19–20 दिनांकः 21/09/22

संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा–समस्त।

विषयः–द्वितीय श्रेणी अध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक) एवं समकक्ष स्तर के कार्मिकों के योग्यता अभिवृद्धि सम्बन्धी लम्बित आवेदनों के सम्बन्ध में।

संदर्भः–इस कार्यालय का समसंख्यक आदेश दिनांकः 23.11.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के संदर्भित आदेश द्वारा क्षेत्राधिकार में द्वितीय श्रेणी अध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक) एंव समकक्ष स्तर के कार्मिकों के छः माह से पूर्व अर्जित योग्यता अभिवृद्धि आवेदनों के निदेशालय प्रेषण हेतु 25.03.2022 की अंतिम तिथि निर्धारित करते हुए निर्देशित किया गया था कि उक्त तिथि के पश्चात 06 माह (परीक्षा परिणाम तिथि) से पुराने प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रावधान के सम्बन्ध से विभिन्न स्तरों से प्राप्त मांग के परिप्रेक्ष्य में समुचित विचारोपरान्त संदर्भित आदेश के अधिक्रमण में निर्देशानुसार एतद् द्वारा नवीन निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. संभाग क्षेत्राधिकार में द्वितीय श्रेणी अध्यापक (वरिष्ठ अध्यापक) एंव समकक्ष स्तर के कार्मिकों के छः माह (परिक्षा परिणाम तिथि के आधार पर) से पुरानी अवधि के कारण लम्बित योग्यता अभिवृद्धि सम्बन्धी समस्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण करते हुए दिनांकः 30.09.2022 तक संभाग स्तरीय वरिष्ठता सूचियों में प्रविष्टि की कार्यवाही किए जाने की सुनिश्चिता करावें।

   इसके पश्चात प्राप्त होने वाले योग्यता अभिवृद्धि सम्बन्धी आवेदनों पर भी परीक्षा परिणाम घोषणा की अवधि पर विचार किए बिना नियमानुसार वरिष्ठता सूची में अभिवृद्धित योग्यता अंकन सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न करावें।
2. उपर्युक्तानुसार जारी समस्त आदेशों को तत्दिवस ही कार्यालय हाजा के वरिष्ठता एवं नियम अनुभाग को ई–मेल एवं हार्ड कापी जरिए डाक प्रेषित किए जाने की सुनिश्चिता करावें।
3. भविष्य में वरिष्ठता सूचियों में नामांकन, विलोपन, संशोधन एंव योग्यता अभिवृद्धि से सम्बन्धित प्रकरणों के सतत एवं त्वरित निस्तारण के लिए अधीनस्थ कार्यालयों के प्रभावी प्रबोधन हेतु कार्यालय स्तर पर समुचित समन्वय स्थापित करते हुए आप स्वयं उक्त कार्य का समय–समय पर समुचित रूप से पर्यवेक्षण करें तथा अधीनस्थ कार्यालयों एवं कार्मिकों को आवश्यकतानुसार सम्बलन प्रदान करें।

उपर्युक्त निर्देशों की पालना एंव कियान्विति संभाग क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च प्राथमिकता से करावें।

(धर्मेन्द्र कुमार जोशी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

प्रतिलिपिः निम्नांकित का सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
12. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
13. वरिष्ठ सम्पादक, ''शिविरा प्रकाशन'', कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
14. सहायक निदेशक, संस्थापन –एफ/डीपीसी अनुभाग।
15. समस्त PEEO/UCEEO/प्राचार्य–राउमावि को अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों को सूचनार्थ एंव पालनार्थ।
16. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (डीपीसी)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते